औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

केस नं0 एम.आई.टी. 86/2003

सीआईएस नंबर 1118/2015

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33(2)(बी) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, वैशाली नगर आगार जयपुर

——— प्रार्थी

ब ना म

शिव ताज सिंह यादव पुत्र श्री चिंरजी लाल, पद चालक, निवासी ग्राम पोस्ट परतापुर थाना मण्डान, तहसील बहरोड जिला अलवर **(मृतक दौराने कार्यवाही)**

——— अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारीः पवन कुमार, आर.एच.जे.एस.

प्रार्थी की ओर सेः श्री मनोज गोयल

अप्रार्थी की ओर से : श्री मिर्जा फारूक बैग

आदेश दिनांक : 24.06.2026

आ दे श

प्रार्थी मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, वैशाली नगर आगार जयपुर की ओर से अप्रार्थी शिव ताज सिंह यादव पुत्र श्री चिंरजी लाल, पद–चालक के विरूद्ध पारित सेवापृथक आदेश दिनांक 21.06.2003 के अनुमोदन हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे सुविधा की दृष्टि से **'अधिनियम'** लिखा जायेगा) की धारा 33(2)(बी) के अन्तर्गत अनुमोदन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2003 को पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

संक्षेप में तथ्य इस तरह से हैं कि अप्रार्थी चालक को आरोप पत्र क्रमांक 53/07.01.92 जारी कर दिनांक 24.10.91 को वाहन संख्या आर.जे. 14 पी 0537 का संचालन लापरवाही व तीव्र गति से चलाकर अन्य वाहन ट्रोला को टक्कर मारकर निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने एवं वाहन

में यात्रियों चोट कारित करने तथा दूसरा आरोप दिनांक 16.01.91 को बिना पूर्व सूचना एवं अवकाश स्वीकृत कराये बिना अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहने का लगाया गया। जांच अधिकारी द्वारा उक्त आरोप की नियमानुसार विभागीय जांच संपन्न कर आरोप सिद्ध माने गये। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन पर सतर्कतापूर्वक विचार करने के पश्चात् अप्रार्थी श्रमिक को को पूर्णतया दोषी पाते हुये निगम के स्थाई आदेशों की धारा 36(7) के तहत आदेश दिनांक 21.06.2003 के द्वारा उसे निगम सेवा से पृथक कर दिया। अतः सेवा मुक्ति आदेश का अनुमोदन किये जाने की प्रार्थना की। अप्रार्थी श्रमिक को कई अवसर दिये जाने के पश्चात भी उसके द्वारा उक्त अनुमोदन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया।

न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 01.12.2021 द्वारा उक्त आरोप पत्रों में की गई घरेलू जांच कार्यवाही को अनुचित एवं अशुद्ध घोषित किया गया। प्रार्थी निगम की ओर से श्रमिक के विरूद्ध आरोप सिद्ध करने हेतु गवाह दामोदर प्रसाद भट्ट सहायक यातायात निरीक्षण एवं रामफल मीणा मुख्य समय पालक का शपथ पत्र पेश हुए, जिससे अप्रार्थी प्रतिनिधि द्वारा जिरह की गयी। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 06.03.2023 को स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया लेकिन अप्रार्थी का दिनांक 06.10.2023 को निधन हो जाने से अप्रार्थी से कोई जिरह नहीं हो सकी। अप्रार्थी की ओर से कोई विधिक वारिसान रिकॉर्ड पर पेश नहीं किये गये।

उभय पक्षों की बहस अंतिम सुनी गयी। प्रार्थी प्रतिनिधि ने दौराने बहस कथन किया कि श्रमिक दिनांक 16.01.91 को बिना अवकाश स्वीकृत कराये एवं सूचना दिये बिना अपनी डयूटी से अनुपस्थित रहा है और दिनांक 24.10.91 को वाहन सं. आर जे 14 पी 0537 का संचालन लारवाहीपूर्वक व तीव्र गति से कर अन्य वाहन ट्रोला को टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की और निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने एवं वाहन में यात्रियों को चोट पहुंचाई जाने के आरोप है, जिन्हें निगम साक्ष्य ने प्रमाणित किया है। अप्रार्थी की ओर से आरोपों के खण्डन में कोई साक्ष्य नहीं आयी है। अतः अनुमोदन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

अप्रार्थी प्रतिनिधि ने श्रमिक की ओर से लिखित बहस पेश कर कथन किया कि आरोप पत्र दिनांक 24.10.91 में श्रमिक की डयूटी वाहन

संख्या आर.जे. 14 पी 537 पर थी, किन्तु यह कहना गलत है कि श्रमिक द्वारा उक्त वाहन को तीव्रगति एवं लापरवाही से चलाने के कारण दुघर्टना हुई हो एवं श्रमिक को किसी भी दण्डनीय न्यायालय द्वारा भी दुर्घटना के संबंध में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। यह भी कथन किया कि श्रमिक कभी भी बिना अवकाश स्वीकृत कराये अपनी डयूटी से अनुपस्थित नहीं रहा है एवं ना ही दिनांक 16.01.91 को अनुपस्थित रहा, जिससे निगम का कोई परिचक्र निरस्त नहीं हुआ जिससे निगम को आर्थिक हानि नहीं हुई है। निगम की ओर से श्रमिक की अनुपस्थिति एवं आर्थिक हानि होने के संबंध में कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। श्रमिक का विचारण के दौरान निधन हो चुका है। उससे अप्रार्थी को आरोप का खण्डन करने का मौका नहीं मिला है। इस संबंध में अप्रार्थी की ओर से S.B. CWP No. 2958/2021 RSRTC Vs Sohan lal (Deceased) and Others में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2021 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया है।

मैंने उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्को वितर्कों पर मनन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक विनिश्चय से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्रमिक पर जो दिनांक 16.01.91 को अपनी डयूटी से अनुपस्थिति एवं दिनांक 24.10.91 को दुर्घटना कारित किये जाने के आरोप है। उक्त आरोपों के संबंध में की गयी जॉच कार्यवाही को अशुद्ध घोषित किया जा चुका है। प्रकरण में विचारण के दौरान श्रमिक का निधन दिनांक 06.10.2023 को निधन हो चुका है। अप्रार्थी को आरोपों के खण्डन हेतु अप्रार्थी का केवल शपथ पत्र पेश हुआ है, लेकिन जिरह होने से पूर्व ही श्रमिक का निधन हो जाने से श्रमिक को आरोपों के खण्डन हेतु साक्ष्य का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त **1995 (70) एफ.एल.आर. 244 श्रीमति प्रेमकुमारी व अन्य बनाम सी.आई.टी में निम्न विनिश्चय पारित किया गया है :–**

> **“Argument of Shri Agrawal is that the charge could be proved even after the death of the concerned workman, by tendering evidence with reference to the contemporaneous record as the charge was only of not giving the prescribed standard of work. We do not agree with this argument for the simple reason that only the deceased workman could**

confront the employer with the circumstances in which the prescribed standard of work could not be given and no effective cross-examination on this aspect of the matter could be done by the legal representatives, i.e., the widow of the deceased workman and his sons. Only the deceased workman could confront the witnesses of the employer with such circumstances in which it may not have been possible for him to give the prescribed standard of work. Therefore, to say that the work put in by the concerned employee workman was on record and the requisite standard of work had been prescribed and therefore the charge could be proved even against a dead person without causing any prejudice to him, is wholly misconceived, rather ill-conceived. In such circumstances, we do not find that the Tribunal committed any illegality in granting the relief of wages and other consequential financial benefits to the legal representatives of the decease workman on the basis of the Supreme Court decision in Deshraj Gupta v. Industrial Tribunal, Lucknow for the period from the date of the termination to the date of the death of the workman. The order passed by the learned single judge in a writ of certiorari against the award of the Tribunal does not warrant any interference and, in our considered opinion, the directions given by the Tribunal are just and proper and seek to render substantial justice between the parties. The impugned order dated November 29, 1991, does not warrant any interference in the special appeal. This special appeal is therefore dismissed."

इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत 2011 (130) एफ0एल0आर0 311 (राज0 उच्च न्यायालय) राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट का0 बनाम सुखबीर सिंह में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जहां यह निष्कर्ष दिया गया हो

कि जांच उचित एवं शुद्ध नहीं है तथा कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान श्रमिक की मृत्यु हो गई हो तो उसके विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जा सकती और इस आधार पर सेवामुक्ति अनुमोदन को अस्वीकार किए जाने के निर्णय को सही माना है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय **S.B. CWP No. 2958/2021 RSRTC Vs Sohan lal (Deceased) and Others** में भी माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक विनिश्चिय प्रेम कुमारी बनाम सी.जे.आई.टी को उद्धरित करते हुए यह माना है कि जहॉ श्रमिक की मृत्यु हो गयी हो वहॉ जॉच कार्यवाही को continue नहीं रखा जा सकता। हस्तगत मामले में भी जॉच कार्यवाही को अशुद्ध घोषित किया जा चुका है तथा श्रमिक का निधन हो जाने से जॉच कार्यवाही continue नहीं रखी जा सकती। अतः न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों की रोशनी में प्रार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। निष्कर्षतः प्रार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33(2)(बी) अस्वीकार किया जाकर निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी निगम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33(2)(बी) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 अस्वीकार किया जाकर अप्रार्थी शिवताज सिंह (मृतक) के विरूद्ध पारित सेवा मुक्ति आदेश दिनांक 21.6.2003 का अनुमोदन अस्वीकार किया जाता है।

(पवन कुमार)
न्यायाधीश
औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर

आदेश आज दिनांक 24.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पवन कुमार)
न्यायाधीश
औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर